

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की मेरी शिकायत के सम्बन्ध में पावर ग्रिड द्वारा दिए जवाब में संदर्भ संख्या:-CC/HR/Res-cell/2023/309A दिनांक 22.08.2023 के आधार पर पारेषण लाइन 400 kV D/C Kanpur-Ballabgharh transmission line in the year 2009 निर्माण में मेरे द्वारा किस प्रकार की irregularities पाई गई ?
2. पारेषण लाइन 400 kV D/C Kanpur-Ballabgharh transmission line in the year 2009 निर्माण में मेरे वर्क ऑफ स्कोप का सत्यापित विवरण दिया जाए ?
3. पारेषण लाइन 400 kV D/C Kanpur-Ballabgharh transmission line in the year 2009 निर्माण में irregularities की जांच में Internal Vigilance Department ने मुझ पर क्या चार्ज लगाए थे ? और क्या चार्ज सिद्ध हुए थे ? मुझे इसकी सूचना किस माध्यम से कब दी थी ?
4. उक्त सम्बन्ध में Internal Vigilance Department द्वारा मुझे अपना पक्ष रखने के लिए कब और किस माध्यम से सूचित किया गया ?
5. उक्त सम्बन्ध में Internal Vigilance Department द्वारा जांच कब खत्म हुई ? और मुझ पर क्या दंड निर्धारित किए गए ? ऑर्डर की छायाप्रति प्रदान करें ?
6. उक्त के सम्बन्ध में Internal Vigilance Department द्वारा जारी उस ऑर्डर की प्रतिलिपि संलग्न करें जिसमें मुझे DPC में प्रमोट न करने के आदेश किए गए हों ? और S-1 से SG ग्रेड में प्रमोट करने पर कोई एतराज ना जताया गया हो ?

नोट:-छायाप्रति पर आए व्यय का खर्च मैं देने के लिए बाध्य हूँ ।